प्रेस विज्ञप्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की रोजगार एवं शिक्षा में हिस्सा ईसाइयों के आरक्षण देने का विरोध करने का संकल्प लेने का कार्यक्रम।

कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानन्द जी के आश्रम में– विश्व हिन्दू परिषद के अन्तरराष्ट्रीय महामंत्री डॉ0 प्रवीण तोगड़िया द्वारा

दिनांक 19 मार्च, 2010

भारत के संविधान ने अनुसूचित जाति के हिन्दुओं को ही आरक्षण दिया है। ईसाइयों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार नहीं है। केन्द्र सरकार गरीब अनुसूचित जाति के हिन्दुओं की रोजगार एवं शिक्षा छीनकर ईसाइयों को देने का षडयंत्र कर रही है।

अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की 80 प्रतिशत रोजगार एवं शिक्षा ईसाई ले जा रहे हैं और जनजाति हिन्दू गरीब ही बना है।

देश में 5 करोड़ एस.सी.,एस.टी. ओ.बी.सी. एवं अन्य हिन्दू बेरोजगार हैं। उनको रोजगार न देते हुए, उनकी रोजगार–शिक्षा छीनकर 10 प्रतिशत मुसलमान एवं 5 प्रतिशत ईसाई को आरक्षण देने का षड्यंत्र देश में होने जा रहा है।

कल सभी पक्ष के मुस्लिम सांसदों (एम.पी.)ने अपनी पार्टी की वफादारी छोड़कर उपरोक्त मांग के लिए ब्लैकमैलिंग शुरू किया है।

स्वामी लक्ष्मणानन्द जी ने कंधमाल में अनुसूचित जाति, जनजाति के हिन्दुओं को शिक्षा व रोजगार देकर उनकी रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी।

विश्व हिन्दू परिषद के अन्तरराष्ट्रीय महामंत्री डॉ.प्रवीण तोगड़िया आज सायं 6 बजे उड़ीसा के बरगड़ जिला केन्द्र से कार द्वारा कंधमाल स्वामी लक्ष्मणानन्द जी के आश्रम में जाएंगे और कल प्रातः 9 बजे सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं अन्य हिन्दू बन्धुओं के साथ मिलकर निम्न संकल्प करके अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं अन्य हिन्दुओं की रोजगार एवं शिक्षा की रक्षा के लिए देशव्यापी अभियान प्रारम्भ करेंगे–

01. अनुसूचित जाति का आरक्षण किसी भी कीमत पर ईसाइयों को नहीं देने देंगे।
02. अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का फायदा इसाईयों को नहीं लेने देंगे।
03. अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी और मैरिट के हिन्दुओं की रोजगार और शिक्षा पर ड़कैती डालकर 10 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण एवं 5 प्रतिशत इसाई आरक्षण नहीं देने देंगे।

देश के करोड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं मैरिट के हिन्दू युवाओं को रोजगार और शिक्षा नहीं तो उनका रोजगार छीनकर मुस्लिम, इसाईयों को आरक्षण क्यों?